अनुमति

फार्म 'अ'
(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

..../2025–2026

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक ....सन..............2025–2026

विषयः–..................वृक्ष कटाई हेतु अनुमति बाबत्।................मामले की श्रेणी..........अ–62..........सन..............................कोरबा.........

ग्राम –.........कोरबा.........बन्दोबस्त क्रमांक..........पटवारी हल्का कमांक..........16..............तहसील..................कोरबा.........

....सन्......2025–2026

कलेक्टर का कमांक..............सन्................अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक ....सन्..................

तहसीलदार का क्रमांक.......................सन्...............................नायब तहसीलदार का क्रमांक...................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी बनाम छ0ग0शासन	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ता आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
26/02/2026	–कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा परिक्षेत्र कोरबा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/के.बी./163 कोरबा, दिनांक–22/01/2026 के अनुसार आवेदक क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, एस.ई.सी.एल.कोरबा के द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय, ऑफिसर कॉलोनी, गेस्ट हाऊस, क्वा.नम्बर सी–05 के समाने क्वा. नम्बर बी–08 के पीछे और ऑफिसर कॉलोनी ग्राऊण्ड के पास कुल 10 सूखे पेड़ स्थित है।, जो की किसी भी समय भवन पर गिर सकता है, तथा आस–पास के लोगों एवं क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसे काटने हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। –प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण/संयुक्त जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप–घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक19/01/2026 को प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप –घ के अनुसार कुल –35 नग वृक्ष, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 04 नग एवं 31 नग साल स्थित है। कुल 35 नग वृक्ष को मौके में पाया गया जो प्ररूप –घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है। –छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। –छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:– (क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर, (ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर, (ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में, (घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा (ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा	

आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।
– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।
नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।
– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है। – छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।
– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।
–अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– कोरबा, आवेदक क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. कोरबा के स्थान पर स्थित कुल 35 नग, साल–31 नग एवं 04 नग अन्य प्रजाति के वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।
– आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।
–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय वन
क्र./के.बी./163
प्रति.

687
26/2/26

प्ररूप–ड़
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी,
एस.ई.सी.एल.कोरबा,
निवासी– कोरबा, प.ह.नं.–16
तहसील व जिला.–कोरबा,

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे कुल –35 नग वृक्ष को काटने की अनुमति बाबत्।

आवेदक कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा परिक्षेत्र कोरबा (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/के.बी./163 कोरबा, दिनांक–22/01/2026 के अनुसार आवेदक क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. कोरबा के द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय, ऑफिसर कॉलोनी, गेस्ट हाऊस, क्वा.नम्बर सी–05 के समाने क्वा. नम्बर बी–08 के पीछे और ऑफिसर कॉलोनी ग्राऊण्ड के पास कुल 10 सूखे पेड़ स्थित है।, जो की किसी भी समय भवन पर गिर सकता है, तथा आस–पास के लोगों एवं क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसे काटने हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण/संयुक्त जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप–घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 19/01/2026 को प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप –घ के अनुसार कुल –35 नग वृक्ष, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 04 नग एवं 31 नग साल वृक्ष स्थित है। कुल 35 नग वृक्ष को काटने हेतु मौके में पाया गया, जो प्ररूप –घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम– कोरबा, आवेदक क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. कोरबा के स्थान पर स्थित कुल 35 नग वृक्ष, जिसमें से कुल साल –31 नग एवं 04 नग अन्य प्रजाति के वृक्ष को काटने की अनुमति दी जाती है।

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 34 नग साल एवं 04 अन्य प्रजाति के कुल–35 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभाग– कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

....2...

पृ.क्र. 687 /अ.वि.अ./वाचक/2026 कोरबा, दिनांक 26/02/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र कोरबा, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग–कोरबा
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)